FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला,श्रीगंगानगर

प्रकाश सिंह आदि **बनाम** राजस्थान सरकार आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 105 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/455

तामिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.11.2023	प्रार्थीगण प्रकाश सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नम्बर 07 गांव 13 एच तहसील श्रीकरणपुर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 209 आरटीए के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ **चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या के खाता संख्या 105/99 की जमाबन्दी** प्रस्तुत की। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि **अप्रार्थीगण** आगामी तारीख पेशी 18.12.2023 तक तहसील श्रीकरणपुर के **चक 1 एस की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या के खाता संख्या 105/99 के मुरब्बा नम्बर 03, 06 की कुल 7.992 हैक्टेयर भूमि में से 3.162 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे अर्थात इसका किसी प्रकार से बेचान, रहन, हस्तान्तरण नहीं करे।** प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जावे। प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करे। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना नही करने पर यह अन्तरिम अस्थाई स्थगन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। यदि उक्त भूमि बैंक के रहन है तो बैंक मे राशि जमा कराने या अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने व **राजस्थान कृषि साख परिचलन(कठिनाई निवारण) अधिनियम 1974 की** कार्यवाही पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नही होगा। पत्रावली दिनांक 18.12.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	
18/12/23	प्रार्थीगण अधिवक्ता [illegible] अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार नायक उपस्थित आए। TI की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 22/01/2024 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:47:29 IST
Reason: SelfAttested

२२/०१/२४ बार संघ का कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब अन्य कार्य मे व्यस्त है।
है पत्रावली दिनांक 05/02/24 को पेश हो · Kamal

05/02/२४ अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं। स्टे की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 09/02/२४ को पेश हो

09/02/२४ अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक १२/02/२०२४ को पेश हो

१२/02/२४ अधिवक्तागण उपस्थित। प्रकरण के मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। अब इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक २९/11/23 निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.03 11:47:29 IST
Reason: SelfAttested